न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर
नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आरएएस उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या– 6/2016 ईजराय
दायर दिनांक– 19.7.2016
फैसल दिनांक– 9.4.2018

अनवान

1– श्री शंकर पिता (मुतबन्ना)धूलीया कटारा आदीवासी निवासी ठाकरडा ।
2–श्री हिरा पिता बदीया कटारा आदीवासी निवासी ठाकरडा ।
3– कान्ता पिता नानजी कटारा निवासी ठाकरडा ।
4– श्रीमती भूरी पिता थावरा पत्नि नाथू ननोमा निवासी हाल मुकाम सामलिया
(ईजरायदार)

बनाम

1–श्रीमती कान्ता पिता थावरा पत्नि वजा खराडी निवासी हाल मुकाम माण्डव।
2– श्रीमती मीरं पिता थावरा पत्नि गुलाबजी अहारी निवासी हाल मुकाम अपने जमाई कान्ति पिता शंकर ननोमा पुनर्वास कॉलोनी सागवाडा
3– श्री सोहनलाल पिता सवजी रोत निवासी धाणी निचली वरदा तहसील सागवाडा
4– श्रीमान पटवारी साहब ठाकरडा ।
5– श्रीमान तहसीलदार सागवाडा ।

(मद्दयून)

प्रकरण संख्या 207/2015 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 2.12.2015 में नामान्तरकरण खोलने का आदेश जारी करने बाबत।

निर्णय

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ईजरायदार (वादीगण) की ओर से मद्दयुन (प्रतिवादीगण) के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209एंव धारा 136 राज0लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण संख्या 207/2015 दर्ज होकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.12.2015 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 4 को वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादग्रस्त आराजी में वादिया संख्या 4 का नाम खाते में जोडने का आदेश दिया जाकर प्रतिवादीगण को वादी संख्या 4 के हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करने स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने आदेश है ।

उक्त निर्णय एवं डिक्री के कम में ईजरायदार द्वारा पालना हेतु ईजराय प्रस्तुत की गई । इजराय प्रकरण में पालना की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार सागवाडा द्वारा खाते की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए उक्त आराजी पूर्व में रामा पिता थावरा हाकेर बेवा थावरा के नाम दर्ज थी इसके बाद नामान्तरकरण संख्या 221 से हाकेर फौत हाने से रामा पिता थावरा मीणा खातेदार रहा इसके बाद नामान्तरकरण संख्या 265दिनांक 12.6.2015 से डिक्री से मीर व कान्ता का नाम जूडने सेरामा पिता थावरा 1/3 मीर कान्ता पिता थावरा 2/3 दर्ज हुआ इसके बाद उक्त आराजी में जरिये रजिस्टी बेचान होने से वर्तमान में रामा पिता थावरा 1/3 ,सोहनलाल पिता सवजी 2/3 सा.धाणी निचली खातेदार के नाम दर्ज होने से निर्णयानुसार भूरी का 1/4 हिस्सा दर्ज करने आदेश एवं निर्णय में 2/3 हिस्सा बैचान का

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

उल्लेख नही होकर स्थिति स्पष्ट नही होने से निर्णय की पालना हेतु मार्गदर्शन चाहा गया । दिनांक तहसीलदार के पत्र के क्रम में इस न्यायालय से जरिये क्रमांक 107 दिनांक 15.1.2018के द्वारा मीरं व कान्ता का हिस्सा सोहनलाल को बेचान हो जाने से हिस्सा सोहनलाल /सवजी 1/2 ,भूरी /थावरा 1/4 ,रामा /थावरा 1/4 दर्ज किए जाने आदेश दिए गए ।

उक्त आदेश की पालना के पूर्व प्रतिवादी संख्या 4 सोहनलाल के द्वारा जरिये अभिभाषक आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें मीरं व कान्ता का 2/3 हिस्सा जरिये पंजिबद्ध विकय पत्र से कय की जाने के पश्चात उसके नाम नामान्तरकरण खोला गया है ,विकय पत्र किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किए जाने पर भी उसका 2/3 हिस्सा कम किया जाकर 1/2 किया गया है अतः विधि सम्मत आदेश जारी किए जाने आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया ।

उक्त आपत्ति पत्र की प्रति प्रार्थीगण के अभिभाषक को दी गई । अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर आपत्ति पत्र पर बहस एवं बहस आखरी हेतु सहमत होने से प्रकरण में प्राप्त आपत्ति पत्र पर बहस एवं बहस आखरी सुनी गई ।

विद्धान अभिभाषक आपत्तिकर्ता द्वारा बहस में प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख करते हुए आपत्ति पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बताया कि मीरं व कान्ता का 2/3 हिस्सा जरिये पंजिबद्ध विकय पत्र से कय की जाने के पश्चात उसके नाम नामान्तरकरण खोला गया है ,विकय पत्र किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किए जाने पर भी उसका 2/3 हिस्सा कम किया जाकर 1/2 किया गया है । विकय पत्र के सम्बन्ध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अतः सोहनलाल द्वारा कय भूमि में हिस्सा 2/3 के स्थान पर 1/2 किया जाना न्यायोचित नही है । वकील आपत्तिकर्ता ने आपत्तिकर्ता की ओर से अपील की जानी है अतः अपील के निर्णय तक ईजराय की पालना रोकी जाने का निवेदन किया ।

विद्धान अभिभाषक ईजरायदार ने इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं डिकी दिनांक 2.12.15 अनुसार पालना के लिए निवेदन करते हुए मीरं का 1/4 हिस्सा दर्ज करने निवेदन किया ।

हमने पत्रावली एवं आपत्ति पत्र का अवलोकन किया तथा विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार थावरा के फौत होने के बाद उसके चार सन्तान एवं पत्नि में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होता है । पत्नि हाकेर फौत हो जाने पर रामा ,कांता,भूरी,मीरं प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा बनता है । न्यायालय डिक्री के अनुसार भूरी का 1/4 हिस्सा दर्ज करने पर शेष,कांता एंव मीरं का संयुक्त 1/2 एवं रामा का 1/4 हिस्सा बनता है ।

चूँकि कांता एंव मीरं द्वारा अपना हिस्सा सोहनलाल को जरिये विकय पत्र बेचान कर दिया गया है । उपरोक्तानुसार कांता एंव मीरं का 1/2 हिस्सा ही बनता है ।अतः तहसीलदार सागवाडा द्वारा वांछित मार्गदर्शन के क्रम में दिए गए आदेश अनुसार पालना की जाने तहसीलदार को लिखा जावे । आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारीज की जाती है ।

पत्रावली फैसल शुमार हो ,नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner